

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक— एस्टे/डीईएस/कनि. सहा./पदस्थापन/2018

दिनांक: 15.02.2018

.....
.....
.....

विषय – लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति बाबत।

संदर्भ – प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्रांक प.1(6)प्र.सु./अनु.-3/ 2017 दिनांक 08.02.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा लिपिक ग्रेड-द्वितीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2013 में चयनित अभ्यर्थियों में से प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे वांछित मूल दस्तावेजों की जांच/सत्यापन हेतु (परिशिष्ट 'अ' के अनुसार सत्यापित प्रति सहित) प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी स्तर से स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र के साथ दिनांक 22-23, फरवरी 2018 को आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 में निम्नानुसार उपस्थित हों –

दिनांक	22.02.2018		23.02.2018	
समय	प्रातः 10.00 बजे	दोपहर 2.00 बजे	प्रातः 10.00 बजे	दोपहर 2.00 बजे
मेरिट संख्या	223 से 1085	1157 से 1978	3655 से 3769	3781 से 3882
	2008 से 2549	2639 से 3015	3885 से 3979	3985 से 4102
	3017 से 3278	3293 से 3405	4107 से 4212	4219 से 4273
	3427 से 3540	3553 से 3650	4276 से 4386	4391 से 4483

वांछित दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त नियमानुसार नियुक्ति पत्र जारी किया जावेगा। इस प्रयोजनार्थ आपको यात्रा भत्ता एवं अन्य किसी भी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।

संलग्न – वांछित दस्तावेजों की सूची एवं शपथ पत्रों का प्रारूप (परिशिष्ट –अ, ब, स, द (I व II))

(कुलदीप भटनागर)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

जांच हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले मूल दस्तावेजों/शपथ पत्रों की सूची

नवीनतम
फोटो

क्र.सं.	मद	विवरण
1	2	3
1.	अभ्यर्थी का नाम	
2.	शैक्षणिक योग्यता (सैकण्डरी/ सीनियर सैकण्डरी/स्नातक/स्नातकोत्तर)	
3.	जन्म दिनांक (सैकण्डरी प्रमाण पत्र के आधार पर)	
4.	कम्प्यूटर संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र	
5.	जाति प्रमाण पत्र * (अजा/अजजा/ओबीसी/विकलांग)	
6.	मूल निवास प्रमाण पत्र	
7.	अंतिम शैक्षणिक संस्थान का चरित्र प्रमाण पत्र	
8.	दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (छह माह से पूर्व की तिथि का नहीं हो)	

9.	विवाह संबंधी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं दहेज न लेने/न देने का शपथ पत्र (प्रारूप की प्रति संलग्न) परिशिष्ट –ब, द- I/II	
10.	दिनांक 31.05.2002 के पश्चात दो से अधिक संतान होने/न होने का शपथ पत्र (प्रारूप की प्रति संलग्न) परिशिष्ट-स	
11.	पते के प्रमाण हेतु आधार कार्ड/बिजली, पानी, टेलीफोन के बिल/ड्राईविंग लाईसेंस, इत्यादि की प्रति (कोई एक)	
12.	प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र	
13.	पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट	
14.	अभ्यर्थी के हस्ताक्षर	

* वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/दिशा-निर्देशों की अनुसरण में राज्य सेवा में नियमानुसार नियुक्ति प्रदान की जावेगी –

- (अ) ओ.बी.सी. वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ही जारी किया गया हो एवं यह भी प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है। अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए।
- (ब) अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। विवाहित महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, अभ्यर्थी अपनी पिता की आय के आधार पर पिता के नाम से जारी प्रमाण पर जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा।

(विवाह शपथ—पत्र)

प्रपत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती.....निवासी
.....शपथपूर्वक बयाना करता हूँ/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री.....
निवासीके साथ सम्पन्न हुआ था परन्तु अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू
होने से पूर्व दिनांक.....को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री.....निवासीके साथ
दिनांक.....को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं.....अविवाहित हूँ।

या

मैं.....विधुर/विधवा हूँ (पत्नि/पति श्री/श्रीमती.....)

या

मैं तलाकशुदा हूँ (प्रमाण पत्र संलग्न है)

या

मैं परित्यक्ता हूँ एवं मेरा विवाह श्री.....के साथ दिनांक.....को सम्पन्न
हुआ था।

हस्ताक्षर

शपथकर्ता

(संतान शपथ—पत्र)

घोषणा प्रपत्र

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7 (1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसरण में निम्नलिखित प्रपत्र में कार्यभार ग्रहण करते समय घोषणा जो कि राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित है, प्रस्तुत कर रहा /रही हूँ।

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....मैरिट संख्या.....
है, लिपिक ग्रेड- II, भर्ती परीक्षा, 2013 में लिपिक ग्रेड- II के पद पर अभिस्तावित हुआ/हुई हूँ।

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों की संख्या.....थी।

<u>क्र.सं</u>	<u>नाम</u>	<u>जन्म तिथि</u>
---------------	------------	------------------

2. दिनांक 01 जून, 2002 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

दिनांक 01 जून, 2002 को एवं इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में मेरे बच्चों की कुल संख्या.....है।

<u>क्र.सं</u>	<u>नाम</u>	<u>जन्म तिथि</u>
---------------	------------	------------------

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम:.....

पद: लिपिक ग्रेड- II

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये

राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर के

नाम:

पद मय मोहर:

विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
घोषणा –पत्र

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री

निवासी.....
..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड—II, संयुक्त भर्ती परीक्षा—2013 में लिपिक ग्रेड—II के पद नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया गया है।

मेरा विवाह दिनांक को हुआ। विवाह के समय मेरे घर वालों ने न तो दहेज लिया है/न ही दिया है। भवष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थी जिम्मेदार रहूंगा।

(नाम—.....)

घोषणा कर्ता

स्थान :-

दिनांक :-

साक्षी

ससुराल पक्ष पिता की ओर से

1. हस्ताक्षर 1. हस्ताक्षर.....

नाम..... नाम

पता पता

2. हस्ताक्षर 2. हस्ताक्षर.....

नाम..... नाम

पता पता

**अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
घोषणा –पत्र**

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री

निवासी.....

..... शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिपिक ग्रेड-आ, संयुक्त भर्ती परीक्षा-2013 में लिपिक ग्रेड-आ के पद नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया गया है।

मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है और भविष्य में जब भी होगा तब मैं या मेरे घर वाले ना तो दहेज लेंगे/ना ही देंगे। भवष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं, प्रार्थी जिम्मेदार रहूंगा।

(नाम-.....)
घोषणा कर्ता

स्थान :-

दिनांक :-

साक्षी

1. हस्ताक्षर 2. हस्ताक्षर.....

नाम..... नाम.....

पता पता